[illegible] लेखक ने दिनांक 7.8.18 को पेश हो

8-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश करवाई
चौपाड़ में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली
पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड राजकीय भूमि है।
वादीगण वादग्रस्त भूमि पर आतेजी के तौर से
काबिज होकर रजिस्ट्री आदि प्राप्त
करना चाहते है। आरआई अवलोकन प्रार्थना-पत्र में
रिपोर्ट जारी के अनुसार वादग्रस्त भूमि नदी
में लगता हुआ विलायत बबूल बताया गया है
तथा आगे वादीगण के आरआई अंकन किया
गया है यह अंकन दिनांक 12-6-2002 को
3 वर्ष के लिए किया गया था। अतः वादग्रस्त भूमि
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की
धारा 16 में वर्णित भूमियों की श्रेणी में होने से

[signature]
सहायक कलक्टर
टोंक

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा प्रार्थी की मौखिक व अभिलेखीय लिया जाना सिद्ध [illegible] होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। एवं डिक्री जारी हो। प्रकरण [illegible] [illegible] से कम है तथा बाद तामील प्रक्रिया शेष नहीं रहा है। निर्णय खुले न्यायालय में [illegible] [illegible] के सामने आज दिनांक [illegible] सुनाया गया। [signature]	